न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 274/2021 निर्णय दिनांक :– 08.12.2021

उनवानी प्रा0पत्र

1. रामकन्या देवी पत्नि स्व. मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा (थावला) थाना देवली जिला टोंक (राज0)
2. रामकुंवार पुत्र स्व. मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा (थावला) थाना देवली जिला टोंक (राज0)
3. शंकर पुत्र स्व. मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा (थावला) थाना देवली जिला टोंक (राज0)
4. श्योजी पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा (थावला) थाना देवली जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थी–

–बनाम–

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प थांवला में पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 42 खसरा नम्बर 172 रकबा 0.50 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 है0, वाके तनग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पहले अड़वा राजकीय सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 168 रकबा 0.24 है0 व खसरा नम्बर 173 रकबा 0.38 है0, तनग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही ग्राम भगवानपुरा बड़ला आने–जाने वाले मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 148 से होकर आराजी खसरा नम्बर 169, 168 की भूमि की उत्तरी दिशा में स्थित रास्ते से होकर आराजी भूमि खसरा नम्बर 328/166 गै.मु. रास्ता व 168, 173

Scanned with CamScanner

राजकीय सिवायचक भूमि की मेड़ से होते हुए अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में आते–जाते है तथा काश्तकारी कार्य करते रहे है। प्रार्थीगण के उक्त रास्ते की भूमि पर अन्य लोगो ने अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए अवरूद्ध कर दिया है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में आ–जा नहीं पा रहे है। जबकि वर्तमान में काश्तकारी का समय है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने, कृषि यंत्र लाने जे जाने व काश्तकारी कार्य करने हेतु विधिवत् रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 328/166 से खसरा नम्बर 168 व 173 की भूमि में करीब 18 फीट रास्ता दिलवाना आवश्यक है। जिसके लिए प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 172 में आने–जाने उपयोग–उपभोग करने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 328/166 गै.मु. रास्ते से खसरा नंम्बर 168 व 173 की भूमि में करीब 18 फिट रास्ता चौड़ा नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में कृषि कार्य के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई, चौड़ाई ख0नं0 168 में **40 X 5 = 200** वर्गमीटर व ख0न0 173 में **28 X 5 = 140** वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 340 वर्गमीटर होगी। चाहे जाने वाली रास्ते की डीएलसी दर 390864 /– रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसकी एक गुना राशि 13290/– व दुगुनी प्रतिकर राशि 26580/– रूपये है। आवेदक की भूमि स्वंय की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदक को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते में दो देशी बबूल के पेड़ खड़े है जिनकी अनुमानित कीमत 4000/– रूपये है। आवेदक सिवायचक भूमि में से रास्ता

Scanned with CamScanner

चाहता है यदि आवेदक को अत्यधिक आवश्यकता होने पर रास्ता दिया जा सकता है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। अतः मय राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी नक्सा ट्रेस की दो प्रति और डी0एल0सी0 दर की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमानजी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार से बहस सुनी।

प्रार्थी ने कैम्प प्रशासन गांव के संग अभियान थांवला में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को अपने आराज़ी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थी इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में रिपोर्ट के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य दो बबूल के पेड़ो के अलावा कोई संरचना, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 172 रकबा 0.50 वाके तनग्राम भगवानपुरा जाने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी की भूमि से पूर्व सिवायचक भूमि ख. नं. 168 रकबा 0.24 है0 व ख. नं. 173 रकबा 0.38 है0 है, जिसमें से प्रार्थी रास्ता चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस व प्रार्थना पत्र में बताया कि ख. नं. 168 व 173 सिवायचक भूमि है जिस पर

Scanned with CamScanner

गिरोहबन्द लोग ने अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है और प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो उन बदमाश, गिरोहबन्द व्यक्तियों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी आराजी में कृषि कार्य हेतु आ–जा नही पा रहा है। इसलिए रिकॉर्डेड रास्ते की सख्त आवश्कता है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता ख. नं. 168 में चौड़ाई 5 मीटर एवं लम्बाई 40 मीटर अर्थात 200 वर्गमीटर क्षैत्रफल व ख. नं. 173 में चौड़ाई 5 मीटर व लम्बाई 28 मीटर अर्थात 140 वर्ग मीटर कुल क्षैत्रफल 340 वर्ग मीटर के रास्ते की तरमीम यथासंभव दोनो बबूल के पेड़ो को बचाते हुए करे। यदि बबूल के पेडो को बचाया जाना संभव न हो तो वन विभाग से पेडो की वर्तमान कीमत का आंकलन मंगवाकर प्रार्थीगण द्वारा जमा करावें एवं रिपोर्ट अनुसार डी0एल0सी0 की दुगनी प्रतिकर राशि 26580/– रू0 अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि व दोनो बबूल के पेड़ो की जमा करवाकर, की गई तरमीम सहित रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत थांवला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with CamScanner